

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 381/2012
अन्तर्गत
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 301/2012

ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

बनाम

रामनिवास व अन्य

आदेश दिनांक

मई 31 , 2012

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री विरेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी

विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2012 को वापिस लिया जाता है एवं अपील को उसके मूल क्रमांक पर पुनः स्थापित किये जाने का निर्देश दिया जाता है।

(न्या० मोहम्मद रफीक)

बीएलजैन//103

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.

B.L. Jain, PS